संख्या-10/2018/क0नि0-4-45/11-2018-रिट(17)/16

प्रेषक,

मो0 मारूफ,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,

वाणिज्य कर,

उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 13 फरवरी, 2018**

विषय: मा0 अपर जनपद न्यायाधीश, महाराजगंज के निर्णय दिनांक 06.10.2016 के अनुपालन में चेकपोस्ट सोनौली, महाराजगंज के भवन का किराया भुगतान किए जाने संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सम्पत्ति/किराया अनुभाग/गोरखपुर-292/2017-18/411/वाणिज्य कर, दिनांक 05.01.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चेकपोस्ट सोनौली, महाराजगंज के भवन के किराए की अवशेष धनराशि रू0-13,050.00 तथा मध्यवर्ती लाभ की धनराशि व बिजली बिल बकाया की धनराशि रु0-35,736.00 इस प्रकार कुल रु0-48,786.00 (रूपए अड़तालीस हजार सात सौ छियासी मात्र) के भुगतान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत वाणिज्य कर विभाग के आय व्ययक की अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के अंतर्गत मद संख्या-17 किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व के अंतर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

आज्ञा से,

(मो0 मारूफ)
विशेष सचिव।

संख्या-10/2018/क0नि0-4-45(1)/11-2018, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय**,** इलाहबाद।
2- जिलाधिकारी, महाराजगंज।
3. वित्त नियंत्रक/एडीश्नल कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, महाराजगंज।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मो0 मारूफ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in